XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग. 1935–II 06 ..... जिला ..... टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-9-15	1– मैंने प्रकरण का आवलोकन किया। यह निगरानी श्रीमान अपर कलेक्टर जिला टीकमगढ़ म०प्र० के प्रकरण क्रमांक 258/स्व.निग./2002–03 मे पारित आदेश दिनांक 30/11/2004 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गयी है। 2– आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क में कहा गया है कि विवादित भूमि का पट्टा दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत ग्राम मोनेका खेरा की भूमि ख0नं0 1013 रकवा 1.000 हे0 भूमि स्वामी अधिकार के तहत प्रदान किया गया था। म.प्र. कृषि प्रयोजन के लिए उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमि स्वामी अधिकार प्रदान किया जाना(विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गम भूमि स्वामी स्वत्व प्रदान किए जाने का अधिकार प्रदान किया गया है। आवेदक का कब्जा लगभग 50 वर्षो से चला आ रहा है। खसरा की नकल में अनावेदक का कब्जा दर्ज होने के आधार पर नायब तहसीलदार कुड़ीला द्वारा प्रकरण कमांक 547/अ–19(4)/1995–96 आदेश दिनांक 06/09/1996 को आवेदक के नाम भूमि स्वामी अधिकार प्रदान करते हुए विधिवत् आदेश पारित किया था। जिसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सूक्ष्म जॉच एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना न्यायालय अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा स्वमेव निगरानी के तहत विवादित आदेश पारित करते हुए भूमि शासन के नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये है। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– आवेदक की ओर से तर्क में कहा गया है कि लगभग 15–20 वर्ष पूर्व किये गये व्यवस्थापन को शून्य किये जाने बावत् स्वप्रेरणा निगरानी की कार्यवाही की गई है जबकि पट्टेदार द्वारा विवादित भूमि पर श्रम, धन खर्च कर भूमि को उन्नत बनाया गया है जैसा कि राजस्व निर्णय 1999 पेज 363 मोहन तथा अन्य विरूद्ध म.प्र. राज्य में यह मत प्रतिपादित किया गया है कि स्वप्रेरणा की कार्यवाही युक्तियुक्त समय के	

[कृ. प. उ.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भीतर की जाना चाहिए तथा एक वर्ष की अवधि अयुक्तियुक्त हो सकती है। इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट केसेज 1994 राजचन्द्र बनाम युनियन ऑफ इन्डिया एस.एस.सी.–44 में यह मत निर्धारित किया है कि स्वप्रेरणा निगरानी की प्रक्रिया समय सीमा में की जाना चाहिए। माननीय उच्च न्याया. न्यायधीश एस.के. गंगेले ने इसी वर्ष 2013 में प्रकरण आनुधिक ग्रह निर्माण सहकारी समिति मार्या. वि. म.प्र. राज्य तथा एक अन्य रे.नि. 2013 पृष्ट 8 में भी 180 दिन से बाहर ऐंसी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता का उल्लेख किया है अतएव उन्होंने आवेदक को किया गया व्यवस्थापन आदेश स्थिर रखते हुए अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया है। 4– उभयपक्षो के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को के परिप्रेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालयं के आदेश एवं प्रस्तुत दस्तावेज तथा न्यायिक दृष्टांतो का अवलोकन किया। अपर कलेक्टर द्वारा आवेदक को 02/10/1984 में कब्जा न होने के आधार पर स्वमेंव निगरानी की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित किया है। प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन वर्ष 1996 में किया गया है। एवं प्रस्तावित कार्यवाही वर्ष 2004 में प्रारंभ की गई है जिसका निराकरण 2015 में किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रचलित कार्यवाही विधि सम्मत नहीं पाता हूँ। अतएव प्रस्तुत तर्को एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश स्थिर रखे जाना नहीं पाता हूँ। 5– उपरोक्त विवेचना के आधारं पर अपर कलेक्टर टीकमगढ़ द्वारा पारित आदेश दिनांक 30/11/2004 निरस्त किया जाता है तथा नायब तहसीलदार कुड़ीला द्वारा पारित आदेश दिनांक 06/09/1996 स्थिर रखा जाता है परिणामतः राजस्व अभिलेख में आवेदक का नाम पूर्वतः दर्ज रखते हुए यह निगरानी स्वीकार की जाती है। तदानुसार यह प्रकरण निराकृत किया जाता हैं प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। सदस्य	

समक्ष- माननीय राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर

R 1935-II/06

काशीराम तनय राजधर लोधी

निवासी मोने काबेरा तह0 बल्देवगढ़ जिलाटीकमगढ़

....आवेदक

// विरुद्ध //

म.प्र. शासन .... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959

उपरोक्त आवेदक न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्रकरण क्रमांक 295बी-121 वर्ष 2004-05 में पारित आदेश दिनांक 4/3/2006 से परिवेदित होकर यह निगरानी निम्नलिखित प्रमुख एवं अन्य आधारों पर प्रस्तुत करता है :-

1- यह कि, आलोच्य आदेश प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य एवं व्याप्त कानूनी सिद्धांतों के प्रतिकूल होने के कारणनिरस्त किए जाने योग्य है ।

2- यह कि, आवेदक को नायब तहसीलदार कुड़ीला द्वारा विधिवत् आवेदन किए जाने पर विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए इस्तहार जारी किया गया, निर्धारित समय में कोई आपत्ति प्रस्तुत न होने पर पटवारी प्रतिवेदन लिया जाकर ग्रामपंचायत का भी मत लिया जाकर नियमअनुसार कार्यवाही करते हुए 2/10/84 को एवं उसके पूर्व से आवेदक का कब्जा होने के कारण विधिवत् बंटन आदेश दखलरहित भूमि के अंतर्गत व्यवस्थापित किया गया जिसके विरुद्ध अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय टीकमगढ़ को ही दिये गये प्रतिवेदन को सही मानते हुए कारण बताओ नोटिस जारी कर विधिवत् रूप से आवेदक को सम्पूर्ण सुनवाई का अवसर दिए बिना विवादित आदेश पारित किया है जो निरस्त किए जाने योग्य है ।

यह कि, आवेदक को पूर्वजों के समय से विधिवत् कब्जा था,

...2.